निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 25 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के माह 01/2017 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखा परीक्षक, द्वारा दिनांक 27/06/2018 से 04/07/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी. के. मट्टू व श्री मनोज कुमार सहायक लेखापरीक्षा/पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा दिनांक 13/01/2017 से 21/01/2017 तक श्री ....वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमे माह ......2/2016 से .....12/2016 ....तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2017 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिचाई विभाग का कार्य यहाँ है कि निर्माण कार्य के रूप में सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, जिला पौड़ी गढ़वाल, क्षेत्र, उत्तराखंड।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय लाख	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (समर्पित)
2015-16	--	-	441.82	441.82	1994.87	1992.19	-	2.68
2016-17	--	-	431.54	431.54	1020.99	1020.99	-	-

2017-18	-	-	444.86	444.13	1796.09	1730.61	0.73	65.48

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	**योजना का नाम (नाबार्ड)**	**प्रारम्भिक अवशेष `**	**प्राप्त `**	**व्यय अधिक्य (+) `**	**बचत (-) `**
2015-16	सी एस एस आर के अंतर्गत बाड़ सुरक्षा	--	1124.65	1124.65	
2017-18		--	477.75	477.75	
2017-18		--	1390.33	1344.84	45.49

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई B श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग में

प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष)

मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र, स्तर-2, मुख्य अभियंता, कुमायु हल्द्वानी, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संस्थान कलागड़, मुख्य अभियंता परियोजना गडवाल यमुना कालोनी देहरादून, मुख्य अभियंता परिकल्प रुड़की ।

अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मण्डल, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर पौड़ी

अधिशासी अभियंता,

सहायक अभियंता,

कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग में

वित्त नियंत्रक , खंडीय लेखाकार, सहायक लेखाधिकारी , प्रशासनिक अधिकारी, लेखाकार, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्क सहायक।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखा परीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 15/03/17 से 16/03/17 तक लेखा परीक्षा की गई
4. खण्ड के भंडार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबंदी तथा यंत्र संयंत्र लेखो की वार्षिक लेखाबंदी क्रमश: माह 09/2017 तक की गई।

5. **फॉर्म-51**: माह 05/2018 तक कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड को प्रेषित किया जा चुका है। जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है(धनराशि रु में)

   भाग प्रथम ₹ (-) 7305.00

   भाग द्वितीय 8532.00
6. खण्ड के उच्चन्तलेखो के अवशेष माह 05/2018 के अंत में (धनराशि रु में)

   1.नगद परिशोधन- शून्य
   2.सामग्री क्रय- शून्य
   3.निक्षेप पंजिका- 48424222.90
   4.प्रकीर्ण अग्रिम- 1,56,891.16
   5.भंडार- 4993823.00

भाग दो (अ)

प्रस्तर 1 रू0 18.45 लाख का संविदाकारों को जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के विपरीत एस0जी0एस0टी0 एवं सी0जी0एस0टी0 का अधिक भुगतान किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्या 2137/111(2)/17–27(सामान्य)/2007 दिनांक 05 सितम्बर 2017 में दिनांक 1.7.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश मे case-1 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.6.2017 तक दाखिल एम0बी0 के सम्बन्ध में कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरान्त प्रस्तुत एम0बी0 के सम्बन्ध में कर के दायित्व का निर्धारण जी0एस0टी0 के प्राविधानों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन्वाइस प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बिल की तिथि को संविदाकार की कर देयता होगी।

उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 2 की उप धारा 119 में " work contract" means a contract for building construction, Fabrication, completion, errection, installation, fittingout, improvement, modification, repair maintenance, renovation, alteration or commissing of any immovable property wherein transfer of property in goods (whether as goods or in same other form) is involved in the execution of such contract का कार्य करने वाले संविदाकारों को भी डीलर (व्यौहारी) माना गया है, इसलिये प्रत्येक डीलर जिसका कारोबार उत्तराखण्ड में रू0 10.00 लाख प्रतिवर्ष है, उसे माल एवं सेंवाकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है तथा प्रत्येक पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी को अधिनियिम की धारा 31 के अनुसार बिक्री किये गये माल एवं सेवा की टैक्स इन्वाइस निर्धारित प्रारूप में जारी करना अनिवार्य है।

Government of India/State
Department of ………………

Form GST INV – 1
(See Rule ……)
Application for Electronic Reference Number of an Invoice

1. GSTIN
2. Name
3. Address
4. Serial No. of Invoice
5. Date of Invoice

Details of Receiver (Billed to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Details of Consignee (Shipped to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Sr. No.	Description of Goods	HSN	Qty.	Unit	Rate (per item)	Total	Discount	Taxable value	CGST		SGST		IGST	
									Rate	Amt.	Rate	Amt.	Rate	Amt.
	Freight Insurance Packing and Forwarding Charges													
		Total												
	Total Invoice Value (In figure) Total Invoice Value (In Words) Amount of Tax subject to Reverse Charges													

तथा जारी (Tax Invoice) बिक्री के बिलों पर अलग से बिल की धनराशि के साथ सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 कर की मॉग अलग से प्रदर्शित करनी होगी, तभी उनकों अलग से देय कर सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 धनराशि का भुगतान पर किया जा सकता था, अन्यथा अलग से कर का भुगतान नही किया जा सकता। अधिनियम की धारा 122(1) की उप धारा (i) के अनुसार यदि कोई पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी किसी बीजक के जारी किए बिना, किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है, या ऐसा किसी पूति के लिये **झूठा** या गलत बीजक जारी करता है तो वह अपराध करता है। या धारा 122 (3) (ड) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है, या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिऐ कैफियत दने में असमर्थ रहता है, या धारा 132 (1) की उप धारा (क) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना ही किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति कर अपवंचन के आशाय से करता है, तो ऐसी **शास्ति** के लिये दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकेगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड श्रीनगर की लेखापरीक्षा में पाया गया कि संविदी विभाग के द्वारा माह 3/2018 में संविदाकार से बिना टैक्स इनवाइस प्राप्त किये ही कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान (रू0 1,62,41,565.00 संविदा की धनराशि एवं रू0 18,45,367.00 जी0एस0टी0 कर की धनराशि अर्थात कुल सकल धनराशि रू0 1,80,86,933.86) किया गया था। जबकि संविदी विभाग के द्वारा संविदकार को कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार जारी टैक्स इन्वाइस पर ही किया जाना चाहिऐ था, साथ ही संविदाकारों को भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित अभिलेखों में यह भी पाया गया कि सभी संविदाकार केवल वैट में ही रजिस्टर्ड थें,जबकि प्रावद्यानों के अनुसार उनकों सी0जी0एस0टी में भी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य था, तभी उनकों जी0एस0टी0 कर का भुगतान किया जा सकता था,यदि उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिल प्रस्तुत कर अलग से जी0एस0टी0 कर की मॉग की गई होती तो ही अन्यथा नही। संविदकार के द्वारा ना तो अलग से शिडुयल बी में कर की अलग से मॉग की गयी थी, और ना ही **उनके** द्वारा अपनी टैक्स इन्वाइस जारी कर मॉग की गयी थी। फिर भी विभाग के द्वारा संविदाकारो को टैक्स धनराशि का अलग से भुगतान किया गया था, जोकि वस्तु एंव सेवाकर अधिनियम 2017 में उल्लिखित प्रावद्यानों एवं शासनादेश संख्या 2137 दिनांक 5 सितम्बर 2017 में उल्लिखित शर्तो के विरूद्व था। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट होता है, कि रजिस्टर्ड ब्यौहारी संविदाकर की मंशा ही कर अपवंचन करने की थी, इसलिये उसके द्वारा सी0जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के प्रावद्यानो का पालन सुनिश्चित किये बिना ही संविदी विभाग से कार्य संविदा की धनराशि एवं अलग से 12 प्रतिशत कर जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान प्राप्त किया गया था। इसलिये माल एवं सेवाकर अधिनियमों 2017 एवं नियमो के विरूद्व संविदाकारो को भुगतान की गयी संविदा एवं कर की धनराशि वसूली योग्य है। तथा उस पर धारा 122 (1) का (i),(xv) एवं अधिनियम की धारा 132(1) (क) के अनुसार अपराध एवं शास्ति के प्रावद्यान भी लागू होगे।

उपरोक्त के संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि वर्तमान में सम्बन्धित संविदाकारों से जी0एस0टी0 प्रति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। टैक्स इन्वाइस प्राप्ति के उपरान्त जी0एस0टी0 दिये जाने की कोई जानकारी खण्डीय लेखाधिकारी एवं इस खण्ड के किसी कर्मचारी को नही थी। जनपद स्तर पर आयोजित जी0एस0टी0 की कार्यशाला में इस बात का कोई उल्लेख नही था,कि टैक्स इन्वाइस प्राप्ति के बाद ही जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाय। आपके द्वारा यह तथ्य प्रकाश में आने के उपरान्त ही इस कार्यालय को संविदाकारों से टैक्स इन्वाइस प्राप्त करने विषयक जानकारी प्राप्त हुई। संविदाकारों से टैक्स इन्वाइस प्राप्त कर इसकी सूचना महालेखाकार उत्तराखण्ड को प्रेषित की जायेगी। भविष्य में संविदाकारों से टैक्स इन्वाइस प्राप्त कर जी0एस0टी0 प्राविद्यानों के अन्तर्गत भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

विभाग के द्वारा स्वंय ही आडिट आपत्ति को स्वीकार किया गया है, कि उनको जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 में उल्लिखित प्रावद्यानों की जानकारी नही थी, इसलिये संविदाकारों को कुल रू0 1,80,86,933.86 की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 में

उल्लिखित प्रावद्यानों के विरूद्व किया गया है। तथा भविष्य में संविदाकरों से टैक्स इन्वाइस प्राप्त कर जी0एस0टी0 प्राविद्यानों के अन्तर्गत भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।विभाग की लापरवाही के कारण उन सभी संविदाकारों को जोकि वस्तु एवं सेवाकर में रजिस्टर्ड भी नही थे तथा जिनके द्वारा दी गयी निविदा दरों शिडुयल बी में भी कार्य की दी गयी दरों में अलग से 12 प्रतिशत जी0सी0टी0 की मॉग भी नही की गयी थी,उन सभी संविदाकारों को कार्य संविदा की धनराशि के अतिरिक्त अलग से 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 कर की धनराशि का अधिक भुगतान किया गया था, जोकि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर विधेयक 2017 में उल्लिखित प्रावद्यानों के विरूद्व था, जिसकी वसूली सम्प्रेक्षा में लम्बित रहेगी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -2(ब)

प्रस्तर -1 :-रु 1.56 लाख विविध अग्रिम एवं रु 434.35 लाख डिपॉजिट धनराशियों का समायोजन लंबित रहना ।

(क) वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 578 के अनुसार विविध अग्रिम को निम्न चार श्रेणियों मे विभाजित किया गया है (1) उधार विक्रय (2) डिपॉजिट मद मे प्राप्त राशि से अधिक व्यय (3) हानि , त्रुटि के कारण हानि,आदि (4) अन्य मद मे ,किसी भी प्रकार से शासकीय हानि , इन सभी प्रकरणो मे अधिकारियों /कर्मचारियो /फर्मो/ठेकेदारो /अन्य विभागो के विरुद्ध विविध अग्रिम डाला जाता है एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 584 के अनुसार इन सभी मदो मे विविध अग्रिम की धनराशि की वास्तविक वसूली की जानी चाहिए या किसी कारण से वसूली न हो पाने की दशा मे सक्षम अधिकारी के आदेश से जब तक बट्टे खाते मे न डाला जाए तब तक विविध अग्रिम लेखे से न हटाया जाए । कार्यालय के लेखा अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि विवरण मासिक लेखा माह 3/2018 के अनुसार अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध विविध अग्रिम अन्य मद, फर्मो/ ठेकेदारों के विरुद्ध विविध अग्रिम की धनराशि रु 1,56,891 लम्बी अवधि से वसूली हेतु लंबित है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि वसूली हेतु पत्राचार किया जा रहा है वसूली होने पर महालेखाकार कार्यालय को सूचित कर दिया जाएगा । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि वसूली लंबी अवधि (वर्ष 1986) से लंबित थी ।

(ख) वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 634 के अनुसार डिपॉजिट निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात अवशेष धनराशि ग्राहक विभाग को वापस कर देनी चाहिए । लेखापरीक्षा मे पाया गया की पूर्ण निर्माण कार्यो की अवशेष रु 434.35 लाख धनराशि कार्य पूर्ण होने के पश्चात खंड स्तर पर अवरुद्ध पड़ी है । जबकि कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्माण कार्य यथाशीघ्र ग्राहक विभाग को हस्तगत करके एवं कार्य से संबन्धित लेखे बंद करके अवशेष धनराशि ग्राहक विभाग को वापस कर देनी चाहिए परंतु इस धनराशि को खंड स्तर पर अवरुद्ध रखा गया है । लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने बताया कि यह राशि दूसरे बंद होने वाले खंडो से प्राप्त हुई है कोई डी सी एल नहीं मिली उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि अवशेष राशि की डी सी एल जो खंड बंद हुए है उनको प्राप्त हुई थी इस खंड को प्राप्त हुई सभी धनराशि का समायोजन तो अब इसी खंड द्वारा यथाशीघ्र किया जाना था ।

अत: रु 1.56 लाख विविध अग्रिम की वसूली एवं रु 434.35 लाख डिपॉजिट धनराशियों का समायोजन लंबित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
64/2004-05	1	1
69/2005-06	1	1,2,3,4,5
18/2009-10	1	-
57/2010-11	1	-
115/2014-15	-	1
119/2015-16	-	1,2,3
102/2016-17	-	1,2,3
योग	**00**	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की विगत लेखापरीक्षा से संबन्धित उपरोक्त सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री बी एस यादव	अधिशासी अभियंता
(ii)	श्री सुनील कुमार	अधिशासी अभियंता

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

श्री परमेन्द्र सिंह

श्री नरेन्द्र सिंह रावत

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा

अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II